न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम (सेशन न्यायाधीश) मेडता (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी-तारा अग्रवाल (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक विविध (जमानत) प्रकरण सं 187/2026

CIS NO 187/2026

गोपाल बंजारा पुत्र इन्दरसिंह उम्र 35 वर्ष, निवासी माल्हेडा झिंकरिया रूण्डी, पुलिस थाना मनासा जिला नीमच (एम पी)

...प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, मेडता,

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं., 2023

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.04/2024 पुलिस थाना मेड़तासिटी।

अपराध अन्तर्गत धारा 8/15, 8/29 एन डी पी एस एक्ट।

उपस्थित-

1-श्री महिपाल विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।

2-श्री अभिमन्यु शर्मा, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

::आदेश::

दिनांक 10-06-2026

1- प्रार्थी/अभियुक्त गोपाल बंजारा की ओर से यह जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना मेड़तासिटी पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 04/2024 में प्रस्तुत किया गया है, जमानत प्रार्थना पत्र की प्रति विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। दोनों पक्षों को सुना एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया।

क्र.सं.	प्रकरण की विशिष्टया	
1	एफ आई आर नंबर	04 सन् 2024
2	पुलिस थाना	मेड़तासिटी
	एफ आई आर दर्ज करते समय धारा	8/15 एन डी पी एस एक्ट
4	अभियुक्त पर लगाये गये आरोप की धाराऐं	8/29 एन डी पी एस एक्ट
5	अभियुक्त की प्रथम गिरफ्तारी	29/04/26
6	अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड	08 प्रकरण
7	जमानत का प्रार्थना पत्र	प्रथम

2- विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया, वह निर्दोष है, उसे इस प्रकरण में गलत रूप से लिप्त बताकर झूठा फंसाया गया है, उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगेगा। अत: प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

3- विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रकरण में बरामद शुदा मादक पदार्थ भारी मात्रा में है। अत: प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

4- दोनों पक्षों के तर्को पर मनन किया एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। अनुसंधान पत्रावली के अनुसार प्रकरण के सह-अभियुक्त महेन्द्रसिंह के कब्जे शुदा वाहन बिना नंबरी ट्रेक्टर ट्रोली की तलाशी के दौरान 144.280 किलोग्राम डोडा पोस्त एवं डोडा पोस्त चूरा बरामद किया जो अवैध मादक पदार्थ प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उपलब्ध करवाया गया। प्रार्थी/अभियुक्त गोपाल बंजारा की धारा 23(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सूचना के अनुसार उसने उस स्थान की तस्दीक की है जहां से 05 जनवरी, 2024 को सुबह 5.00 बजे बिना नंबरी ट्रेक्टर ट्रोली में अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त भरकर कारूलाल मेघवाल एवं महेन्द्रसिंह चूण्डावत को दिये थे। प्रकरण में बरामद शुदा माल अवैध मादक पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा से अधिक मात्रा में है जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। प्रकरण के सह-अभियुक्त रतनाराम की जमानत हाजा न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या 161/2024 में पारित आदेश दिनांक 03-06-2024 द्वारा खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर प्रकरण

के गुणावगुण पर किसी प्रकार का मत अभिव्यक्त किये बिना प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5- परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त गोपाल बंजारा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(तारा अग्रवाल)
सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता।

6- आदेश आज दिनांक 10-06-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सेशन न्यायाधीश,
मेड़ता।